महत्वपूर्ण/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या–11फ/रा०ल०बा०/2015–16/ लखनऊ दिनाँक 15 अक्टूबर, 2015

विषयः– लैंगिक उत्पीड़न (महिला) के मेडिकोलीगल परीक्षण हेतु डी०एन०ए० सैम्पल कलेक्शन किट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या– 11फ/रा०ल०ब०/2015/3126, दिनाँक 28.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महिला सम्मान कोष नियमावली के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न (महिला) के मेडिकोलीगल परीक्षण के संबंध में चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु आयोजित कार्यशाला में इस तथ्य से अवगत कराया जा चुका है, कि प्रत्येक महिला लैंगिक उत्पीड़न परीक्षण हेतु एक डी०एन०ए० सैम्पल कलेक्शन किट की आवश्यकता होगी, जिसके लिए चिकित्सालय/ सामु०स्वा० केन्द्रों पर प्रत्येक महिला लैंगिक उत्पीड़न परीक्षण हेतु एक डी०एन०ए० सैम्पल कलेक्शन किट को उपलब्ध कराने एवं कलेक्शन किट आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटित बजट के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु निर्देश दिय गये थे।

उक्त के साथ ही निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०, महानगर, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी किट की सूची उक्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा चुकी है। उक्ट किट सूची में अंकित items आवशयकतानुसार क्रय करके उपरोक्त परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। सूची में अंकित यू०वी० लाईट (टार्च) की व्यवस्था प्रत्येक किट में नहीं की जायेगी, अपितु प्रत्येक चिकित्सालय/चिकित्सा इकाईयों में एक यू०वी० लाईट (टार्च) की व्यवस्था भी किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है, कि प्रश्नगत कलेक्शन किट का क्रय वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित मदों के अनुसार किया जायेगा :–

1. **शहरी चिकित्सालयों हेतु** अनुदान संख्या–32, लेखाशीर्षक–2210, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनेत्तर, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी, 110– अस्पताल तथा औषधालय, 04–एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय, 39 औषधि तथा रसायन मद से वहन किया जायेगा।
2. **ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों** (सामु०स्वा० केन्द्रों) हेतु अनुदान संख्या–32, लेखाशीर्षक–2210, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनेत्तर, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 10–एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय, 39 औषधि तथा रसायन मद से वहन किया जायेगा।

उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक

संख्या–11फ/रा०ल०बा०/2015–16/2574-76 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन, कक्ष सं०–120, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग–9
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

निदेशक (चिकित्सा उपचार)